

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अब्दुल रौफ पिता-मो० अबुल हसन ग्राम-बीचला टोला सिटानाबाद पो०-सिटानाबाद थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	चिन्ता देवी पति-राम रतन सिंह ग्राम-25 कुरवा पो० हाजीपुर थाना-औद्योगिक क्षेत्र जिला वैशाली	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
3	कमल कांत झा पिता-स्व० कलाकान्त झा ग्राम-पो०-वारी थाना-सिंघीया जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	जगरनाथ शर्मा पिता-किशोर सिंह ग्राम-अदलीपुर पो० नेउरा, थाना-बिहटा जिला-पटना	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,70,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,70,000/- (चार लाख सतर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875296 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड 401004 0001 659 न अनाधिकारिक रूप से जानना ।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/जनवाधिकारी से एक सशुभ "बिहार लोक मांग बसुली अधिनियम" के तहत बसुली कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुपयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...875296...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 440 (14)

पटना, दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/19
निदेशक प्रमुख
21. रंजन

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल, घंटी मिल रोड,
लहरतारा, ओल्ड लोको कालोनी शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.02.19 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रीता गुप्ता पति-गोपाल प्रसाद गुप्ता ग्राम-सुबास नगर पो०-डालमीया नगर थाना-डेहरी, जिला-रोहतास केसफाइलन०-के०ए०/02655	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	बलीराम सिंह पिता-राजनाथ सिंह ग्राम+पो० -असनी जिला-भोजपुर केसफाइलन०-के०बी०/50095	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....
875270.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 463 (H)

पटना, दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/19
निदेशक प्रमुख
21.1.19

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	सबीता देवी पति-अनिल साह ग्राम-पो०-खुरमाबाद थाना-चेनारी जिला-रोहतास एमआरडीन०-2615249	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	लक्की राय पिता-शशि कान्त राय ग्राम-डीहरमा खुर्द पो०-महुअत थाना-सोनहन जिला-भभुआ कैमुर एमआरडीन०-2350387	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सुनील पासवान पिता-जगदीश पासवान ग्राम-लाहोपाकर पो०-जमालपुर पतेरी थाना-चांद जिला-भभुआ कैमुर एमआरडीन०-2657159	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
4	सुधा देवी पति-शिव शंकर सिंह ग्राम-गायत्री नगर पो०-मोतिहारी थाना-टाउन जिला पूर्वी चम्पारण एमआरडीन०-2621033	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	हरेन्द्र भारती पिता-स्व० राम सुहाय भारती ग्राम-असहनी मठीया पो०-चैनवा थाना-रसुलपुर जिला-सारण एमआरडीन०-2572312	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	फारुक अंसारी पिता-अबुल हसन अंसारी ग्राम-सरीयाव पो०-नटेया थाना-कुदरा जिला-भभुआ, कैमुर एमआरडीन०-2256506	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	अशोक कुमार पिता-बिरजु राम ग्राम-मोहीउद्दीनपुर पो०-सिसौनी कोठी थाना-डंडारी जिला-बेगुसराय एमआरडीन०-2592064	हृदय रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	सदरून नेशा पिता-मो० कलामउद्दीन अंसारी ग्राम-पो०-भिट्टी थाना-मोहनीया जिला-भभुआ, कैमुर एमआरडीन०-266449	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			कुल 7,00,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,00,000 /— (सात लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 875297.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आदेश की प्रति में यदि कहीं कोई आंशिक त्रुटि/भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों से मिलान कर रोगी का इलाज प्रारंभ किया जाय। रोगी को इसके लिए अनावश्यक परेशान नही किया जाय।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~875177~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 461 (K)

पटना दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


26/2/19
निदेशक प्रमुख
श.म.पटना

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.2.19 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उर्मिला देवी पति-अनोज कुमार ग्राम+पो-बहादुरपुर थाना-अगमकुआ जिला-पटना केसफाइलनं०-सीआर/22544	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	आनन्दी यादव पिता-फकीर यादव ग्राम-खाब्दह पो-कन्हैली थाना नरपतगंज जिला-अररिया केसफाइलनं०-सीएस/01676	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	वीणा देवी पति-गया प्रसाद सिंह ग्राम-बदुरी अमघट्टा पो-मटियार कला थाना-सहीयारा जिला सीतामढ़ी केसफाइलनं०-सीएस/01833	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सुनील कुमार श्रीवास्तव पिता-उत्तम नारायण वर्मा ग्राम-शिव बाजार पो-थाना-भगवान बाजार जिला-सारण केसफाइलनं०-सीआर/43885	कैंसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
5	शिव शंकर साह पिता-स्व० फुलचन्द साह ग्राम-अमरी बढैयाबाग पो-करबन्दीया थाना-सासाराम जिला-रोहतास केसफाइलनं०-सीआर/42865	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	मन्द्रा देवी पति-राम बाबु राय ग्राम बड़ा पकही पो0-मजीरवा थाना-लखौरा जिला-पूर्वी चम्पारण केसफाइलनं0-सीपी / 40225	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	रूपवती देवी पति-बिजली शिव गुलाम राय ग्राम-तुरकौलीया रक्सा ढाका पो0-बारा जयराम थाना-ढाका जिला-पूर्वी चम्पारण केसफाइलनं0-सीआर / 22070	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,10,000/-.	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,10,000/- (छः लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875313 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 875313 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 462 (14)

पटना, दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ संबंधित मरीज/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/19
निदेशक प्रमुख